प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
06 अप्रैल, 2022

रेलवे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा' प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

2021 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 22 – संघ सरकार (रेलवे) - अनुपालन लेखापरीक्षा' को राज्य सभा में 5.4.22 और लोक सभा के पटल पर आज रखा गया। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विषय आधारित लेखापरीक्षाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और 2019-20 के दौरान रेल मंत्रालय के 31 अनुपालन मामले शामिल हैं।

प्रतिवेदन की मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय रेल में ट्रेन परिचालनों में समयबद्धता और यात्रा का समय

भारतीय रेल 2008-19 के दौरान ट्रैक अवसंरचना के लिए ₹ 2.5 लाख करोड़ के निवेश के बावजूद गतिशीलता परिणाम में कोई स्पष्ट सुधार नहीं कर पाया। 2016-17 में शुरू किए गए "मिशन रफ्तार" में 2021-22 तक मेल/एक्सप्रेस के लिए 50 किमी प्रति घंटे और मालगाड़ियों के लिए 75 किमी प्रति घंटे की औसत गति का लक्ष्य रखा। हालांकि, 2019-20 तक मेल/एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की औसत देखी गई गति, अभी भी क्रमशः 50.6 किमी प्रति घंटे और 23.6 किमी प्रति घंटे के आसपास थी। 478 सुपर फास्ट (एसएफ) ट्रेनों में से, 123 एसएफ ट्रेनों (26 प्रतिशत) की निर्धारित गति 55 किमी प्रति घंटे की निर्दिष्ट गति से कम थी।

ट्रेनों के कुल 66 प्रतिशत अवरोधन में योगदान देने वाले छह मुख्य आंतरिक महत्वपूर्ण कारकों को नियंत्रणीय के रूप में पहचाना गया था। भारतीय रेल के पास माल के परेषणों के लिए कोई गारंटीकृत सुपुर्दगी समय नहीं है। ऐसा मालगाड़ियों के संचालन का समय निर्धारित न किए जाने के कारण था।

रेल मंत्रालय ने सभी लेखापरीक्षा सिफारिशों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 2.1)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना का कार्यान्वयन

डीएफसीसीआईएल विश्व बैंक निधि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16 करोड़ के परिहार्य प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान हुआ। डीएफसीसीआईएल द्वारा कोई रखरखाव सुविधा नहीं बनाई गई थी। कुल 4,844 मार्ग किलोमीटर में से नवंबर 2020 तक 2,346 मार्ग किलोमीटर (48 प्रतिशत) फीडर मार्ग को अपग्रेड किये गये थे।

डीएफसीसीआईएल ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ₹ 285.21 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। संविदाएं देने में देरी के कारण परियोजना की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई । सलाहकारों की

नियुक्ति में 32 महीने तक का विलंब था। डीएफसीसीआईएल ने मूल्य वृद्धि के लिए मार्च 2021 तक ₹ 2,233.81 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया। यह परियोजना में विलंब के कारण था।

(पैराग्राफ 3.1)

अन्य महत्वपूर्ण अनुपालन मामलों में शामिल हैं:

संविदाकारों से सेवा कर की उगाही न करना

भारतीय रेल को अपनी स्वयं की आय से सेवा कर की मांग के भुगतान के कारण ₹27.43 करोड़ की हानि हुई।

रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 2.2)

ग्रेड सेपरेटर के निर्माण में रेलवे बोर्ड के निर्देशों का गैर-अनुपालन

उत्तर रेलवे ने कार्य के लिए खाली कार्य स्थलों को सुनिश्चित किए बिना ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के कार्य के लिए संविदाए प्रदान की। अतिक्रमणों के कारण, कार्य संस्वीकृति के 10 वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। इसकें परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2021 तक कार्य पर किया गया ₹ 71.50 का करोड़ का पूंजीगत व्यय निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 3.3)

अनारा में कोचों की मध्यावधि पुनर्सुधार कार्यशाला के लिए अनुचित योजना

रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे में अनारा में मध्यावधि पुनर्सुधार कार्यशाला स्थापित करने को मंजूरी दी (फरवरी 2010)। हालांकि, प्रतिबद्ध निधियों के अभाव के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा परियोजना को छोड़ दिया गया (सितम्बर 2017)। परिणामस्वरूप, परियोजना पर ₹ 8.42 करोड़ का प्रारंभिक व्यय अनुत्पादक रहा।

(पैराग्राफ 3.9)

स्पेक्ट्रम प्रभारों का निष्फल भुगतान

रेलटेल ने आवंटित स्पेक्ट्रम को उपयोग के बिना वापस कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम के रॉयल्टी प्रभारों पर खर्च की गई ₹ 13.82 करोड़ की राशि निष्फल हो गई थी।

(पैराग्राफ 3.21)

विद्युत की परिहार्य अधिप्राप्ति

भारतीय रेल ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड (बीआरबीसीएल) से विद्युत की अधिप्राप्ति के प्रति ₹ 968.73 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था। इस परिहार्य व्यय में नियत क्षमता प्रभार के लिए ₹ 463.30 करोड़ और टाटा विद्युत-वितरण के साथ विद्युत खरीद करार को बंद करने और उच्च टैरिफ पर बीआरबीसीएल से विद्युत की अधिप्राप्ति के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 505.43 करोड़ शामिल है।

(पैराग्राफ 4.1)

BSC/SS/TT/12/22